<u>न्यायालयः</u>— साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला—अशोकनगर (म.प्र.)

<u>दांडिक प्रकरण कं.-276/08</u> <u>संस्थापित दिनांक-23.06.2008</u> Filling no. 235103000762008

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :—
आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।
.......अभियोजन
विरुद्ध

1— रामिकंकर उर्फ मुन्ना पुत्र किशोक उम्र 48 साल
2— दीपू उर्फ दीपक पुत्र राम किंकर उर्फ मुन्ना उम्र 27 साल
3— सुषमाबाई पत्नी राम किंकर उर्फ मुन्ना उम्र 40 साल
निवासीगण— ग्राम मोहनपुर तहसील चंदेरी जिला—अशोकनगर
म0प्र0
......आरोपीगण

—: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 19.06.2017 को घोषित)</u>

- 01— आरोपीगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 294, 323/34, 324/34, 506 बी के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कर आरोप है कि दिनांक 29.05.2008 को समय 8 बजे ग्राम मोहनपुर में फरियादी रामिकशोरी को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे तथा अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी भरत की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया उसके अग्रेसर में फरियादी की स्वेच्छया मारपीट कर उपहित कारित की तथा फरियादी रामिकशोरी की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया उसके अग्रेसर में फरियादी की धारदार अस्त्र से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- **02** प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि दिनांक 04.03.2016 को फरियादी रामिकशोरी, आहत भरत एवं अभियुक्त दीपू उर्फ दीपक तथा सुषमाबाई के मध्य राजीनामा हो जाने से आरोपीगण दीपूं उर्फ दीपक तथा सुषमाबाई को भा.द.वि की धारा 294, 323/34, 324/34, 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया गया तथा यह निर्णय अभियुक्त **रामिकंकर** के संबंध में भा0द0वि0 की धारा 294, 324/34, 506 भाग दो के संबंध में पारित किया जा रहा है।
- 03— अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादिया रामकिशोरी ने उसके लड़के भरत व रामेश्वर के साथ इस आशय की रिपोर्ट थाना चंदेरी में लेख कराई कि दिनांक 29.05.2008 को समय 8 बजे ग्राम मोहनपुर में फरियादिया की भैंस छूट गई और आरोपीगण की भैंस की सानी खा गई। इसी बात पर आरोपी रामकिंकर मां बहन

//2//दाण्डिक प्रकरण कमांक-276/08 Filling no. 235103000762008

की बुरी—बुरी गालियां देने लगा, इतने में आरोपी का लडका दीपू, गौरव व पत्नी सुषमा भी आ गई। फरियादिया ने कहा कि मवेशी है मै बांध देती हूँ, इसी बात पर से रामिकंकर ने उसके सिर में पत्थर पटक दिया, जिससे सिर में चोट आकर खून बहने लगा, वह वही पड़ी थी, दीपू ने उसके पत्थर मारा जो हाथ के बाजू में चोट आई। फरियादिया का लडका भरत बचाने आया तो उसे सुषमा ने पत्थर मारा दांहिने तरफ पसलियों में चोट आई। फरियादिया का लडका रामेश्वर तथा गाँव के अन्य लोगो ने बीच बचाव किया। आरोपीगण कहने लगे कि आज तो छोड़ देते है, आइन्दा जान से खत्म कर देगे । पुलिस ने अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपीगण को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04— अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्त राम किंकर द्वारा स्वयं को निर्दोश होना तथा रंजिशन झुठा फसाया जाना एवं बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :--

- 1. क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 29.05.2008 को समय 8 बजे ग्राम मोहनपुर में फरियादी रामिकशोरी को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे तथा अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित किया ?
- 2. क्या घटना दिनांक समय स्थान पर फरियादी रामकिशोरी की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया उसके अग्रेसर में फरियादी की धारदार अस्त्र से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
- 3. क्या घटना दिनांक समय स्थान पर फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

: : सकारण निष्कर्ष : :

//विचारणीय प्रश्न क. 1 व 3//

06— विचारणीय प्रश्न क. 1 व 3 एक—दूसरे से संबंधित होने से व साक्ष्य की पुनरावृति को रोकने के लिये उनका एक साथ विश्लेषण किया जा रहा है। अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। घटना के संबंध में फरियादिया रामिकशोरीबाई अ०सा०1 द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 में आरोपीगण के द्वारा गालियां देना एवं जान से खत्म कर देना लेख है किन्तु स्वयं फरियादी रामिकशोरीबाई ने उक्त अपराध के संबंध में उसके न्यायालयीन कथनो में आरोपीगण द्वारा गालियां देना एवं जान से खत्म कर देने वाली

//3//दाण्डिक प्रकरण कमांक—276/08 Filling no. 235103000762008

बात को व्यक्त नहीं किया है। फरियादिया के अलावा अन्य किसी साक्षीगण ने गालियां देने एवं जान से खत्म कर देने के संबंध में कोई कथन न्यायालय में नहीं किये है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष धारा 294, 506 भा0द0वि0 के संबंध में अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है। फलतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवचेना से यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी रामिकशोरी बाई अ०सा02 को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालो को क्षोभ कारित किया तथा संत्रास करने के आशय से जान से मारने की धमकी दी?

//विचारणीय प्रश्न क. 2//

07— रामिकशोरी बाई अ०सा०२ ने उसके न्यायालयीन कथनो में बताया कि घटना उसके न्यायालयीन कथनो से करीब 5—7 साल पहले की होकर सुबह 7 बजे की है। घटना के समय सुषमा ने उससे कहा था कि तुम्हारी भैंसे हमारी सानी खा ली है, इसी बात पर मुन्ना उर्फ रामिकंकर ने उसके उपर पत्थर का पाट पटक दिया था जिससे उसे सिर में चोट आई थी और खून निकल आया था। साक्षी ने बताया कि चोट लगने से वह गिर गई और गिरने से उसके हाथ में चोट आ गई थी। रामिकशोरी अ०सा०२ ने बताया कि उसे भरत चंदेरी लेकर आया था, जहां उसने रिपोर्ट बोलकर लेखबद्ध कराई थी और उसका इलाज हुआ था। अभियुक्त मुन्ना उर्फ रामिकंकर द्वारा रामिकशोरी को पत्थर सिर पर पटककर मारने वाली बात का समर्थन रामवेश्वर अ०सा०३, भरत अ०सा०४ ने भी किया है। रामेश्वर अ०सा०३ ने उसके मुख्य परीक्षण में बताया कि प्र.पी. ४ के नक्शामौका के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त हस्ताक्षर उससे कोतवाली चंदेरी में कराए थे।

08— रामिकशोरी बाई अ0सा02 ने उसके प्रतिपरीक्षण के पैरा 2 में बताया कि वह नहीं चाहती की रामिकंकर को सजा हो। प्रतिपरीक्षण में रामिकशोरी अ0सा02 ने बताया कि चोट उसे गिरने से आ गई थी और उसी चोट की रिपोर्ट उसने की थी और उसी का इलाज हुआ था। यद्यपि साक्षी का कहना है कि उसे चोट गिरने से आ गई थी किन्तु साक्षी ने उसके मुख्य परीक्षण में इस बात को पूर्णतः स्पष्ट किया है कि अभियुक्त मुन्ना उर्फ रामिकंकर ने उसके उपर पत्थर का पाट पटक दिया था जिससे उसे सिर में चोट आकर खून निकल आया था और चोट लगने से वह गिर गई थी और गिरने से उसके हाथ में चोट आ गई थी अर्थात साक्षी रामिकशोरी को 2 चोटे आई थी एक चोट पत्थर का पाट पटकने से और दूसरी चोट लगने से गिर जाने के कारण।

09— डॉ. एस.पी.सिद्धार्थ अ0सा05 ने उसके न्यायालयीन कथनो में बताया कि वह दिनांक 29.05.08 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चंदेरी में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ होकर आहत भरत एवं रामकिशोरी का मेडिकल परीक्षण किया था।

//4//दाण्डिक प्रकरण कमांक—276/08 Filling no. 235103000762008

रामिकशोरी का मेडिकल परीक्षण किये जाने पर फटा घाव जो सिर के फ्रन्टर भाग के मध्य में स्थित था जिसका आकर 5 गुणा 1.5 सेमी गुणा हड्डी की गहराई तक था एवं दुसरी चोट फटा घाव जो बांये उपरी भूजा के मध्य में बाहर के ओर स्थित था जिसका आकर 4 गुणा 1 सेमी गुणा त्वचा की गहराई तक था। उक्त समस्त चोटो पर सूजन, दर्द, घाव एवं कपडो पर खून के थक्के जमे थे। चोटो का रंग लाल था। उक्त चोट सख्त एवं वोथरी वस्तु से आई थी और चोट क्0 1 के लिये एक्सरे की सलाह दी थी एवं चोट क्0 2 साधारण प्रकृति की थी और मेडिकल परीक्षण से 24 ६ वंटे के भीतर की थी। मेडिकल रिपोर्ट प्र.पी.3 है जिसके ए से ए भागो पर डॉ. एस.पी. सिद्धार्थ के हस्ताक्षर है।

- 10— शिवमंगल सिंह अ०सा०1 ने उसके न्यायालयीन कथनो में बताया कि वह दिनांक 29.05.08 को पुलिस थाना चंदेरी में प्रधार आरक्षक लेखक के पद पर पदस्थ था और उक्त दिनांक को फरियादी रामिकशोरी द्वारा आरोपीगण रामिकंकर, दीपू एवं सुषमा के विरूद्ध मारपीट करने, अश्लील गालियां देने एवं जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी जो प्र.पी. 1 है जिसके ए से ए भागो पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाब को अस्वीकार किया कि प्र.पी. 1 की रिपोर्ट उसके द्वारा गलत ढग से कायम की थी।
- 11— रामदास अ०सा० ६ ने उसके न्यायालयीन कथनो में बताया कि वह दिनांक 29. 05.08 को थाना चंदेरी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अ०क० 177/08 धारा 324, 323/34, 506 बी भा०द०वि० की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। विवेचना के दौरान साक्षी द्वारा घटना स्थल का मानचित्र प्र.पी. 4 तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त साक्षी का कहना है कि उसके द्वारा प्रकरण में साक्षी भरत, रामेश्वर, रामिकशोरी के कथन उनके बताए अनुसार दर्ज किये थे और आरोपी किंनर, दीपू सुषमा को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 5 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी रामदास अ०सा० 6 द्वारा व्यक्त किया कि उसके द्वारा प्रकरण में कोई आयुद्य या वस्तु इसलिये जप्त नहीं की गई थी क्योंकि वह मिली नहीं थी। उक्त साक्षी ने स्वतः कहा कि पत्थर से मारना बताया गया था और पत्थर तो कोई भी फेक देता है। यद्यपि यह बात सही है कि आहत रामिकशोरी अ०सा०2, रामेश्वर अ०सा०3, भरत अ०सा०4 द्वारा आरोपी रामिकंकर उर्फ मुन्ना द्वारा रामिकशोरी को जिस हथियार से मारना प्रकट किया है उक्त हथियार अंनवेषण में पुलिस द्वारा जप्त नहीं किया जा सका।
- 12— डॉ. एस.पी.सिद्धार्थ अ०सा०५ द्वारा उसके प्रतिपरीक्षण में आहत रामिकशोरी को उसकी रिपोर्ट प्र.पी. 3 की चोट क० 1 अर्थात सिर के फ्रन्टल भाग में स्थित एक फटा घाव जिसका आकार 5 गुणा 1.5 सेमी हड्डी की गहराई तक था, पत्थरो पर सिर के बल गिरकर आना संभव होना स्वीकार किया हैं किन्तु यह एक संभावना से अधिक कुछ नहीं है। म०प्र० शासन बनाम हमीम खांन 1999 "2" जेएलजेपी—310 में

//5//दाण्डिक प्रकरण कमांक-276/08 Filling no. 235103000762008

माननीय सर्वोच्चय न्यायालय द्वारा यह अभिमत प्रकट किया गया है कि यदि आहत को आई हुई चोटो का समर्थन चिकित्सीय साक्ष्य से होता है तो ऐसी साक्ष्य को विश्वसनीय माना जा सकता है।

- 13— अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि रामिकशोरीबाई द्वारा पूर्व विवाद के चलते अभियुक्त कि विरूद्ध झुठी रिपोर्ट लिखाई है किन्तु इस संबंध में अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है इसके अलावा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण की साक्ष्य में विरोधाभास है जिससे अभियोजन कहानी संदेहास्पद हो जाती है। रोकड सिह बनाम म0प्र0 राज्य एमपीएलजे 1996 पेज 57 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिमत प्रकट किया गया है कि साक्षी द्वारा वृतांत का वर्णन भाषा व तरीके में फेरफार स्वाभाविक है उससे वृतांत की यथार्थता प्रभावित नहीं होती है, इसके विपरीत वृतांत में एक राय से साक्षी को सिखाने पढ़ाने का संकेत मिलता है।
- 14— फरियादी रामिकशोरी अ०सा०2, रामेश्वर अ०सा०3, भरत अ०सा०4 के कथन प्रतिपरीक्षण में इस बिन्दू पर सारतः अखण्डनीय रहे है कि अभियुक्त रामिकंकर द्वारा आहत रामिकशोरी के सिर पर पत्थर का पाट पटक दिया था जिससे रामिकशोरी के सिर में चोट आई थी और खून निकल आया था। रामिकशोरी अ०सा०2 के कथनो की संमपुष्टि अविलम्ब सुसंगत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 से भी होती है तथा आहत को आई हुई चोटो का समर्थन डॉ. एस.पी.सिद्धार्थ अ०सा०5 के कथनो से भी होता है। अभिलेख पर आहत रामिकशोरी एवं अन्य साक्षीगण की साक्ष्य को खारिज किये जाने हेतु किसी भी प्रकार के बड़े विरोधाभास अथवा लोप नहीं है तथा फरियादी रामिकशोरी के कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है। अतः साक्षीगण के कथनो के आधार पर यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्त रामिकंकर उर्फ मुन्ना द्वारा घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी रामिकशोरी की मारपीट कर उपहित कारित की।
- 15— जहाँ तक अभियुक्त द्वारा स्वेच्छ्या उपरोक्त उपहित कारित किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित है कि अभियुक्त उसके द्वारा किये जा रहे कृत्य एवं उपयोग में लाये गये साधनों को काम में लाते समय यह जानता था या यह विश्वास रखने का कारण रखता था कि उक्त कृत्य से आहत रामिकशोरी को उक्तानुसार चोटें आना संभावित है। अभियुक्त द्वारा प्रतिरक्षा के अधिकार या गंभीर प्रकोपन के परिणामस्वरूप आहत को उपरोक्त चोटें कारित किया जाना दर्शित नहीं है। अतः यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत रामिकशोरी की मारपीट कर स्वेच्छ्या उपहित कारित की गयी।
- 16— बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि फरियादी रामकिशोरी द्वारा उसे पत्थर से मारना व्यक्त किया है एवं डॉ. एस.पी.सिद्धार्थ अ०सा०५ ने भी उसकी रिपोर्ट

//6//दाण्डिक प्रकरण कमांक—276/08 Filling no. 235103000762008

प्र.पी. 3 में सिर में फंटल भाग पर आई हुई चोट को सख्त एवं वोथरी वस्तु से आना प्रकट किया है जिससे धारा 324 भा0द0वि0 का अपराध नहीं बनता है क्योंकि पत्थर धारदार अस्त्र की श्रेणी में नहीं आते है। भा0द0वि0 की धारा 324 के अनुसार, ''जो कोई असन भेदन या काटने के किसी उपकरण द्वारा या किसी ऐसे उपकरण द्वारा जो यदि आकामक आयुद्य के तौर पर उपयोग में लाया जाए, तो उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है अर्थात ऐसा उपकरण जिसे आकामक आयुद्य के तौर पर उपयोग में लाये जाने पर मृत्यु कारित होना संभाव्य हो तो वह धारा 324 भा0द0वि0 की परिधि में आता है।

17— प्रकरण में स्वयं फिरयादिया रामिकशोरी एवं अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षीगण की साक्ष्य में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि फिरयादी रामिकशोरी को सिर में पत्थर मारा गया था उसका आकार कितना बड़ा था और क्या उक्त पत्थर आकामक आयुद्य के तौर पर उपयोग में लाए जाने पर मृत्यु कारित करने के लिये पर्याप्त था तथा अन्वेषण अधिकारी द्वारा उक्त पत्थर को जप्त भी नहीं किया गया था। उपरोक्त परिस्थिति में धारा 324 भा0द0वि0 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है, किन्तु अभियुक्त रामिकंकर द्वारा रामिकशोरी को पत्थर से मारना साक्षीगण की साक्ष्य से प्रमाणित होता है। अतः अभियुक्त रामिकंकर उर्फ मुन्ना को धारा 324 भा0द0वि0 का अपराध प्रमाणित न होने से दोषमुक्त किया जाता है किन्तु अभियुक्त द्वारा फरियादी रामिकशोरी को पत्थर से मारना प्रमाणित है जोकि धारा 323 भा0द0वि0 के अन्तर्गत आता है। अतः अभियुक्त को प्रमाणित अपराध धारा 323 भा0द0वि0 के अन्तर्गत जाता है। अतः अभियुक्त को प्रमाणित अपराध धारा 323 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दोषसिद्ध पाया जाता है।

18— दोषसिद्ध अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण की परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण दंड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु स्थगित किया जाता हैं।

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

पुनश्चः-

19— अभियुक्त पक्ष को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त की ओर से प्रथम अपराध को दृष्टिगत रखते हुये कम से कम दण्ड दिये जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से अधिक से अधिक दण्ड दिये जाने का निवेदन किया गया हैं। इस संबंध में प्रकरण का अवलोकन करने से दर्शित है कि घटना भैंस के द्वारा सानी खा लेने की बात पर से घटित हुई है। अभियुक्त द्वारा सुनियोजित ढंग से आहत रामिकशोरी की मारपीट की ऐसा प्रकट नहीं होता है तथा रामिकशोरी को आई हुई उपहित साधारण प्रकृति की है। अभियुक्त का कोई आपराधिक चित्रत्र नहीं है और न

//7//दाण्डिक प्रकरण कमांक-276/08

Filling no. 235103000762008

ही पूर्व दोषसिद्धी का तथ्य अभिलेख पर है तथा फरियादी रामिकशोरी एवं आरोपी आपस में चाची और भतीजे है। धारा 323 भा0द0स0 के अन्तर्गत कारित अपराध के लिये कारावास अथवा अर्थदण्ड या दोनों से दिण्डित किया जा सकता है। इस प्रकार विधायिका का यह आशय प्रस्तुत है कि कारित उपहितयों की प्रकृति एवं किन परिस्थितियों में अपराध घटित हुआ को देखते हुए अभियुक्त को दिण्डित किया जाये।

20— अतः प्रकरण के तथ्य, आहत को आयी चोटें एवं स्वयं आहत रामिकशोर द्वारा उसके प्रतिपरीक्षण में यह व्यक्त करना कि वह नहीं चाहती है कि अभियुकत रामिकंकर को सजा हो और उसे कोई दण्ड मिले तथा फरियादी एवं अभियुक्त चाची—भतीजा होने एवं समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को निम्नानुसार दण्डित किया जाता है—

अभियुक्त	धारा	सश्रम कारावास	अर्थदण्ड की राशि	अर्थदण्ड के व्यतिकम में सश्रम कारावास
रामकिंकर	323	न्यायालय उठने तक का कारावास	500 / -	7 दिन

- 21— अभियुक्त द्वारा निरोध में बिताई गई अविध के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।
- 22- प्रकरण के निराकरण हेतु कोई मुद्देमाल विद्यमान नहीं है।
- 23- अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर हस्ताक्षरित,दिनांकित किया गया। मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0 साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0